जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,
बागपत।

62092
VASEEMA

सेवा में,

प्रबन्धक/प्रधानाचार्य,

वनस्थली पी0 स्कूल
बरौत

पत्रांक/ 3826-30 /आर0टी0ई0/2017-18 दिनांक- 06-07-2017

विषय- <u>निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 के अन्तर्गत प्रवेश के सम्बन्ध में।</u>

सचिव, उ0प्र0 शासन लखनऊ के पत्र सं0 3087(1)/79-5-2012-29/09 टी0सी0-11 दिनांक अनुभाग-5 दिनांक 03 दिसम्बर 2012 एवं अपर परियोजन निदेशक राज्य परियोजना कार्यालय लखनऊ के पत्र सं0 3जे0/सामुदायिक सहभागिता/आर0टी0ई0/4960/2016-17 दिनांक 6 फरवरी 2017 एवं अपर शिक्षा निदेशक (शिविर) कृते शिक्षा निदेशक (बेसिक) उत्तर प्रदेश लखनऊ के कार्यालय पत्रांक-शि0नि0(बे0)/अ0शि0नि0 (शिविर)/312-410/2017-18 दिनांक 7 अप्रैल 2017 के अनुपालन में निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 में वर्गीकृत अलाभित समूह और दुर्बल वर्ग के बालकों को कक्षा पूर्व-प्राथमिक एवं कक्षा-01 में 25 प्रतिशत सीमा तक ऑनलाइन आवेदन वैबसाईट (http://rte25.upsdc.gov.in) द्वारा निःशुल्क प्रवेश कराये जाने हेतु प्राप्त हुए है। जिलाधिकारी महोदय बागपत के अनुमोदन दिनांक 06.07.2017 के अनुपालन में वैबसाईट (http://rte25.upsdc.gov.in) पर निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 के तहत प्रवेश कराये जाने हेतु आपको प्रेषित है। अतः संलग्न सूची के अनुसार अलाभित बच्चे का प्रवेश कर अधोहस्ताक्षरी को अवगत कराने का कष्ट करें।

(योगराज सिंह)
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
बागपत।

पृष्ठांकन सं0/ /आर0टी0ई0/2017-18 तद्दिनांक

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1-जिलाधिकारी, बागपत।
2-मुख्य विकास अधिकारी बागपत।
3-सम्बन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारी, बागपत को इस निर्देश के साथ कि सम्बन्धित अभिभावक एवं विद्यालय से सम्पर्क कर प्रवेश कराना सुनिश्चित करें।
4-सम्बन्धित अभिभावक को इस आशय से प्रेषित कि वह प्रार्थना पत्र के साथ लगाये गये प्रमाण की प्रतिलिपि के साथ सम्बन्धित विद्यालय में जाकर प्रवेश कराना सुनिश्चित करें।

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
बागपत।